(01)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें) आई० डी० सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए)

कम्प्यूटरीकृत पंजीयन संख्या 60592

I.D.N. 06/17-18

10/04/17

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
(विभाग/कार्यालय) प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना.

1. आवेदक का नाम रामानुज प्रसाद सिंह
2. पूरा पता ग्राम + पो० - मदनपुर थाना + प्रखण्ड - परसौनी जिला - सीतामढ़ी
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)
श्री जय चन्द लाल (जे० सी० लाल) कनीय अभियंता सीतामढ़ी प्रमण्डल अन्तर्गत अवर प्रमण्डल सं०-1 में पिछले (दस) 10 वर्षों से पदस्थापित हैं। क्या एक पद पर एवं एक ही कार्य प्रमण्डल में दस वर्षों तक लगातार पदस्थापन का नियम है तो अवगत कराने की कृपा करें।

347/सू० का० (अ०)
11-4-17

सू० का०
11.4.17

205
12/04/17

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है । यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है ।

5. (1) मैंने (दस) 10/- रुपये (शब्दों में) दस रुपये पोस्टल आर्डर तिथि 31.03.2017 को रसीद सं० 81 E 412795 से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है ।

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० .... दिनांक .... जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ ।

(3) मैंने .... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है ।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है ।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता :
रामानुज प्रसाद सिंह
ग्राम + पो० - मदनपुर
थाना + प्रखण्ड - परसौनी
जिला सीतामढ़ी

रामानुज प्रसाद सिंह
आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता, अगर कोई हो;

दूरभाष संख्या
मो०-9430615653

स्थान : मदनपुर तिथि : 31-03-2017

नोट :-गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है ।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र सं0–प्र03 / सू0–13–06 / 2017 4475 (S)

पटना, दिनांक 26/5/17

प्रेषक,

अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक (क्र0एवं परि0)–
सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय – **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत श्री रामानुज प्रसाद सिंह द्वारा माँगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**
(आई0डी0 सं0 06 / 17–18)

प्रसंग – आपका पत्रांक 1909(ई0) दिनांक 13.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सूचना आवेदन में श्री रामानुज प्रसाद सिंह द्वारा माँगी गयी सूचना के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंता को पदस्थापन संबंधी विभागीय संकल्प सं0 3387(एस) दिनांक 04.06.1988 की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

26/05/17

अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(04)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः- कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के संबंध में अपनाई जानेवाली प्रकिया का निर्धारण

लोक निर्माण विभाग अब पथ निर्माण विभाग द्वारा कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के संबंध में पूर्व में गठित समिति को अवकलित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों की स्थापना समिति गठित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

1. अभियंता प्रमुख-सह-आपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि — उपरिथत वरीयतन मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2. अभियंता प्रमुख, ग्रामीण विकास विभाग,बिहार, पटना उनके प्रतिनिधि । — सदस्य (संयोजक)
3. मुख्य अभियंता मोनेटरिंग
4. श्री रामेश्वर चौधरी, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रिरूपण — सदस्य (अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि)
5. अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग के सचिव(अप्रा०) — सदस्य सचिव

2. कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन/पतिनियुक्ति पर विचार करने के पूर्व में निर्धारित नीति के अतिरिक्त निम्नलिखित मार्ग दर्शक सिद्धांत प्रयोगात्मक आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(1) एक प्रशाखा में तीन वर्ष, एवं अंचल में 6 वर्ष और विभाग/उपभाग में 9 वर्ष की पूर्व से चले आ रहे सिद्धांत पूर्ववत रहेंगे।

(2) एक जिला में 9 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से यदि कोई कनीय अभियंता रह रहे हैं तो प्रशाखा/अंचल अथवा उपभाग में रहने की अवधि का बिना विचार किए उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाय।

(3) स्वेच्छानुसार पदस्थापन उसी जिला या अनुमंडल में निम्न शर्त्तों के साथ किया जा सकता है।

(क) उन्हें अकार्य पद दिया जायगा।

(ख) इस अकार्य पद की गणना, स्वेच्छानुसार होने के चलते कार्य पद पर की जायगी।

ऐसे कनीय अभियंता जिनका लेखा अद्यतन रहा है, कार्य की प्रगति लक्ष्य के अनुसार रही है। गुणत्व सभी तरह से उच्च स्तर का रहा है, को प्रोत्साहन के रूप में एक पदस्थापन कार्य का अतिरिक्त किया जा सकता है और इनकी गणना अकार्य में ही मानी जायगी।

कार्य पदस्थापन के संबंध में यह एक निश्चित शर्त रखें कि उन्हें कनीय अभियंताओं का पदस्थापन कार्य में हों, जिनका पूर्व पदस्थापन का लेखा अद्यतन हो और वह प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता से प्राप्त करना होगा ।

3. 1. कंडिका–1 में मुख्यालय स्तर पर गठित स्थापना समिति कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति से वैसे मामलों पर विचार करेगी जिनका स्थानान्तरण एक उपभाग/विभाग से दूसरे उपभाग/विभाग में स्थानान्तरण/पदस्थापन देय हो गया हो। उपभाग/विभाग में 9 वर्ष पूरा होने पर वर्तमान पदस्थापन निर्धारित तीन वर्ष पूरा होना आवश्यक नहीं है।

(1) कार्य/अकार्य पर केन्द्रीय का स्थानान्तरण/पदस्थापन तीन वर्ष पर संबंधित मुख्य अभियंता करेंगे कनीय अभियंता का विभाग/उपभाग में 9 वर्ष पूरा होने वाला हो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन मुख्य अभियंता द्वारा नहीं किया जायगा। ऐसे कनीय अभियंताओं की सूची प्रत्येक साल के 30 अप्रील एवं 31 अक्टूबर तक सेवा इतिहास के साथ अभियंता प्रमुख को उनके द्वारा उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

(2) कनीय अभियंताओं का स्थानान्तरण देय होने पर उन्हें तीन इच्छित स्थानों का ऑपशन मांगा जा सकता है। सह ऑपशन संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने अंचल में प्राप्त कर मु0 अ0 को भेज देंगे। मु0अ0 द्वारा इस पर विचार किया जायगा। यह ऑपशन सरकार के लिए बाउंडिंग नहीं होगा।

(3) निरूपण एवं योजना कार्य में पदस्थापित कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण की समय सीमा तीन वर्ष ही रहेगी।

(4) प्रशासनिक कारणों अथवा विशेष परिस्थितियों में कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी।

(5) कनीय अभियंताओं का प्रशाखा विशेष में मुख्य अभियंता द्वारा ही पदस्थापित करने का नियम है। अन्य प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से कनीय अभियंता का पदस्थापन प्रशाखा विशेष में आवश्यक हो तो अभियंता प्रमुख प्रस्ताव से संबंधित मुख्य अभियंता का मंतव्य प्राप्त करेंगे तथा सरकार के आदेशोपरांत ही आदेश दिया जायगा।

(6) गृह जिला में पदस्थापित कनीय अभियंताओं को उस जिला से बाहर पदस्थापित करने के लिए निर्धारित समय सीमा स्वतः शिथिल मानी जायगी।

(7) एक जिला में 9 वर्ष से अधिक यदि कोई कनीय अभियंता रह रहे हैं तो चाहे भिन्न उपभाग में ही रहें हों उन्हें तुरंत स्थानान्तरित कर दिया जायगा।

(8) कार्य/अकार्य का अनुपात अगले आदेश तक यथावत 40 एवं 60 प्रतिशत रहेगा।

4. यह संशोधित प्रकिया संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि, पथ निर्माण विभाग/भवन निमार्ण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/संबंधित निगम/निकाय आदि/अभियंता प्रमुख, अभियंता प्रमुख, पथ विभाग, पटना / मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
द0
(शशांक शेखर सिन्हा)
उपसचिव
पथ निर्माण विभाग,बिहार,पटना।

ज्ञापांक–ई2–विविध–19/88/3387(एस) पटना,दिनांक 4.6.88

(06)

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

नि०शा०खा० अत्यन्त शीघ्र निर्गत करें। Nbkum 30-05-17

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई0डी0सं0–06/17–18–** 2689(E) we पटना, दिनांक–30/5/17

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्री रामानुज प्रसाद सिंह,
ग्राम+पोस्ट–मदनपुर,
थाना+भाया–परसौनी, जिला–सीतामढ़ी।

महाशय,

यह आपके सूचना–आवेदन दिनांक–31.03.2017 जो इस विभाग में दिनांक–10.04.2017 को प्राप्त हुआ है, (**आई0डी0सं0–06/17–18–**) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

2. याचित सूचना, अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4475(S)we दिनांक–26.05.2017 से प्राप्त है, को सानुलग्नक संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
29.5.17
(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक– 2689(E) पटना, दिनांक– 30/5/17

प्रतिलिपिः अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4475(S)we दिनांक–26.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

29-5-17
(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग कम्प्यूटरीकृत निर्गत पंजीयन संख्या 31205 30.5.17

D:\sanjay\Praptra\praptra gha